



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 147-2018/Ext.]

चण्डीगढ़, बुधवार, दिनांक 5 सितम्बर, 2018

(14 भाद्र, 1940 शक)

विधायी परिशिष्ट

क्रमांक	विषय वस्तु	पृष्ठ
भाग I	अधिनियम	
	कुछ नहीं	
भाग II	अध्यादेश	
	कुछ नहीं	
भाग III	प्रत्यायोजित विधान	
	1. अधिसूचना संख्या का०आ०58/के०अ०23/2010/धा०8/2018, दिनांक 5 सितम्बर, 2018— नैदानिक स्थापन परिषद का गठन करने बारे।	655— 656
	2. अधिसूचना संख्या का०आ०59/के०अ०23/2010/धा०10/2018, दिनांक 5 सितम्बर, 2018— प्रत्येक जिले के लिए जिला रजिस्ट्रीकरण प्राधिकरण का गठन करने बारे। (प्राधिकृत अंग्रेजी अनुवाद सहित)	657— 658
भाग IV	शुद्धि-पर्ची, पुनः प्रकाशन तथा प्रतिस्थापन	
	कुछ नहीं	

भाग -III**हरियाणा सरकार**

स्वास्थ्य विभाग हरियाणा

अधिसूचना

दिनांक 5 सितम्बर, 2018

संख्या का०आ०58/के०अ०23/2010/धा०8/2018.— नैदानिक स्थापन (रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) अधिनियम, 2010 (2010 का केन्द्रीय अधिनियम 23) की धारा 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनने वाली नैदानिक स्थापन परिषद् का गठन करते हैं; अर्थात् :-

- | | | |
|----|---|--------------------|
| 1. | अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव,
हरियाणा सरकार स्वास्थ्य विभाग | पदेन
अध्यक्ष |
| 2. | महानिदेशक, आयुष विभाग, हरियाणा | पदेन
सदस्य |
| 3. | महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं, हरियाणा | पदेन
सदस्य सचिव |
| 4. | निम्नलिखित परिषदों की कार्यकारी समिति द्वारा
निर्वाचित किए जाने वाला प्रत्येक का एक प्रतिनिधि,— | |
| | (क) हरियाणा राज्य चिकित्सा परिषद् | सदस्य |
| | (ख) हरियाणा राज्य दन्त चिकित्सा परिषद् | सदस्य |
| | (ग) हरियाणा राज्य नर्सिंग परिषद् | सदस्य |
| | (घ) हरियाणा राज्य भेषजी परिषद् | सदस्य |
| 5. | राज्य परिषद् की कार्यकारी द्वारा निर्वाचित किए जाने वाले
आर्युविज्ञान की आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी पद्धतियों का
प्रतिनिधित्व करने वाले तीन प्रतिनिधि। | सदस्य |
| 6. | भारतीय चिकित्सा संघ की राज्य परिषद् द्वारा
निर्वाचित किया जाने वाला एक प्रतिनिधि। | सदस्य |
| 7. | परा-चिकित्सा पद्धतियों से एक प्रतिनिधि। | सदस्य |
| 8. | स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य कर रहे राज्य स्तरीय
उपभोक्ता समूहों या ख्यातिप्राप्त गैर-सरकारी
संगठनों से दो प्रतिनिधि। | सदस्य |

आर० आर० जोवल,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
स्वास्थ्य विभाग।

[Authorised English Translation]

HARYANA GOVERNMENT
HEALTH DEPARTMENT HARYANA

Notification

The 5th September, 2018

No. S.O.58/C.A.23/2010/S.8/2018.— In exercise of the power conferred by section 8 of the Clinical Establishments (Registration and Regulation) Act, 2010 (Central Act 23 of 2010), the Governor of Haryana hereby constitutes the **Haryana State Council for Clinical Establishments** consisting of the following members, namely:-

- | | | |
|----|---|--------------------------------|
| 1. | Additional Chief Secretary/
Principal Secretary Health Department | ex-officio
Chairman |
| 2. | Director General AYUSH Department | ex-officio
Member |
| 3. | Director General Health Services Haryana | ex-officio
Member Secretary |
| 4. | One representative each to be elected by the Executive Committee of - | |
| | (a) Haryana State Medical Council | Member |
| | (b) Haryana State Dental Council | Member |
| | (c) Haryana State Nursing Council | Member |
| | (d) Haryana State Pharmacy Council | Member |
| 5. | Three representatives to be elected by the Executive of the State Council of Indian Medicine representing the Ayurveda, Siddha and Unani systems of Medicine. | Members |
| 6. | One representative to be elected by the State Council of the Indian Medical Association. | Member |
| 7. | One representative from the line of paramedical systems. | Member |
| 8. | Two representatives from State level consumer group or reputed Non Government organization working in the field of health. | Member |

R. R. JOWEL,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Health Department.